तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बाबूलाल बनाम कल्याणी वगैरा** **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **प्रकरण सं. – 42/2017**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.06.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरकण सं. 56 ग्राम चांदावास तहसील रामगढ पचवारा के विरूद्ध उनवानी अपील बाबूलाल बनाम कल्याणी अपील सं. 14/2015 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें यथास्थिति बनाये रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अपील में न्याय आपके द्वार कैम्प के उपरान्त कोई आगामी पेशी तारीख नियत नही की गई। प्रार्थीगण द्वारा अन्य सह–खातेदारो के साथ अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा के समक्ष वाद अधिघोषणा, विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी जगदीश बनाम नानगी में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी की गई थी। उक्त पत्रावली में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता से प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. बाबत रिकॉल करने, अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को बिना हम प्रार्थीगण एवं हमारे अधिवक्ता को नकल दिये अथवा तारीख पेशी सूचना दिये बगैर गुपचुप में वास्ते बहस दिनांक 01.08.2017 नियत कर दि गई। जिसकी भनक लगने पर अधिवक्ता प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिकॉल प्रार्थना पत्र की नकल मांगने पर फोटोकॉपी तो दी गई किन्तु जवाब हेतु समय दिये जाने से इन्कार करते हुए कहा गया की मै उक्त प्रार्थना पत्र अभी ही निस्तारण कर रहा हूँ और अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.04.2017 को रिकॉल करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2017 मनमाने तरीके से नियत कर दी गई। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी रामगढ पचवारा की कार्यशैली से प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 03 द्वारा निवेदन किया गया की पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत एंव मनगढन्त है। अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने एवं प्रकरण को देरीना करने की गरज से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम कल्याणी अपील नामान्तरकरण सं. 56 दिनांक 26.05.1981 ग्राम चांदावास मु.न. 14/2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में जैरकार है। जगदीश बनाम नानगी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 34/17 में निर्णय दिनांक 01.08.2017 के विरूद्ध अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है जिसकी मूल पत्रावली को दिनांक 13.09.2017 को भिजवाई जा चुकी है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम कल्याणी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता हैं। साथ ही उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करे। उभयपक्षकार दिनांक 26.06.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में उपस्थिति देवे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी लालसोट एवं रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official